राज्यपाल सचिवालय, बिहार
राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–12 (लो0सू0अ0)/2022–23
डॉ॰ विभुरंजन, केयर ऑफ–महेन्द्र प्रसाद साह 'निशाकर', सीपेट कैम्पस के दक्षिण, आनन्द मार्ग कॉलोनी, अलीगंज, पोस्ट–मिरसानहाट, भागलपुर–812005
बनाम
लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
19.05.2022	डॉ॰ विभुरंजन, केयर ऑफ–महेन्द्र प्रसाद साह 'निशाकर', सीपेट कैम्पस के दक्षिण, आनन्द मार्ग कॉलोनी, अलीगंज, पोस्ट–मिरसानहाट, भागलपुर–812005 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–14.05.2022 इस कार्यालय में दिनांक–18.05.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–58F 922863 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता डॉ॰ विभुरंजन ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–11.04.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दी गई सूचना से क्षुब्ध होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है, परंतु उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–10.04.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–10.04.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–06.06.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 19/5/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

अपील वाद संख्या–12 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.06.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी डॉ॰ विभुरंजन, केयर ऑफ–महेन्द्र प्रसाद साह 'निशाकर', सीपेट कैम्पस के दक्षिण, आनन्द मार्ग कॉलोनी, अलीगंज, पोस्ट–मिरसानहाट, भागलपुर–812005 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–10.04.2022 द्वारा निम्नांकित सूचना की मॉग की हैः– *"पूर्व सदस्य परामर्शदात्री समिति, फिल्म सेंसर बोर्ड, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–009 / सी॰बी॰एफ॰सी॰ दिनांक–21.02.2022 के आलोक में की गई कार्यवाही का समुचित ब्यौरा जनहित में उपलब्ध कराय जाय।"* उक्त के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक–106 दिनांक–26.04.2022 के माध्यम से संयुक्त सचिव के पत्रांक–571 दिनांक–25.04.2022 द्वारा उपर्युक्त प्राप्त पत्र को अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार, पटना को भेजे गए पत्र की प्रति अपीलार्थी श्री डॉ॰ विभुरंजन को ~~सूचना~~ प्रेषित कर दिया है। विदित हो कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मॉगी गई सूचना के आलोक में इस सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करा दी गई है तथा अपीलार्थी ने दी गई सूचना से क्षुब्ध होने का कोई कारण प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित नहीं किया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 6/6/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या—12 / 2022—23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
06.06.2022	लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी डॉ॰ विभुरंजन, केयर ऑफ—महेन्द्र प्रसाद साह 'निशाकर', सीपेट कैम्पस के दक्षिण, आनन्द मार्ग कॉलोनी, अलीगंज, पोस्ट—मिरसानहाट, भागलपुर—812005 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक—10.04.2022 द्वारा निम्नांकित सूचना की मॉग की है:— *"पूर्व सदस्य परामर्शदात्री समिति, फिल्म सेंसर बोर्ड, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक—009 / सी॰बी॰एफ॰सी॰ दिनांक—21. 02.2022 के आलोक में की गई कार्यवाही का समुचित ब्यौरा जनहित में उपलब्ध कराय जाय।"* उक्त के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक—106 दिनांक—26.04.2022 के माध्यम से संयुक्त सचिव के पत्रांक—571 दिनांक—25.04.2022 द्वारा उपर्युक्त प्राप्त पत्र को अध्यक्ष, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार, पटना को भेजे गए पत्र की प्रति अपीलार्थी श्री डॉ॰ विभुरंजन को ~~सूचना~~ प्रेषित कर दिया है। विदित हो कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा मॉगी गई सूचना के आलोक में इस सचिवालय द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करा दी गई है तथा अपीलार्थी ने दी गई सूचना से क्षुब्ध होने का कोई कारण प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित नहीं किया है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अब जबकि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई सूचना का प्रेषण किया जा चुका है, तब प्रश्नगत अपील वाद में अग्रतर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 6/6/2022 विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	

ज्ञापांक— 708/रा०स०(iii) दिनांक—08-06-2022

प्रतिलिपि:— लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / डॉ॰ विभुरंजन, केयर ऑफ—महेन्द्र प्रसाद साह 'निशाकर', सीपेट कैम्पस के दक्षिण, आनन्द मार्ग कॉलोनी, अलीगंज, पोस्ट—मिरसानहाट, भागलपुर—812005 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/6/2022

विशेष कार्य पदाधिकारी

o/c